दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) योजना अर्न्तगत ऋण–राजसहायत हेतु दिशा–निर्देश

ऋण–राजसहायत हेतु औपचारिकताऐं–

1– मूल/स्थाई निवास प्रमाण पत्र।

2–योजना का विस्तृत स्टीमेट (आगणन)

3– नक्शा (जे0ई0/ऑर्किटेक से)(लोकल प्राधिकरण से पास)

4– बैंक सहमति प्रमाण पत्र।

5– भू स्वामित्व प्रमाण पत्र (खतौनी,खसरा), भूमि कृषि से गैर कृषि (143)

6–शैक्षिक योग्यता

7–अनु0जाति/अनु0जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/भू0पू0सेनिक/विकलाग(यदि लागू)

दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) योजना अर्न्तगत रियायतें/छूट–

1–गृह आवास (होम स्टे) से प्राप्त आय पर गृह आवास के रूप में पंजीकरण के पश्चात प्रथम तीन वर्षो तक राज्य राज्य वस्तु एवं सेवा कर की धनराशि की विभाग द्वारा अदायगी/प्रतिपूर्ति की जायेगी।

2–विद्युत/जल/भवन कर आदि जैसे शुल्क/कर को सम्बन्धित विभागों द्वारा अव्यवसायिक दरों पर वसूल किया जा सकेगा।

3– गृह आवास (होम स्टे) स्थापित किये जाने के बाद भू–उपयोग परिवर्तन नही किये जाने की आवश्कता नही होगी।

राजकीय सहायता दिये जाने हेतु पात्रता एवं प्रोत्साहन लाभ–

1–किसी ऐसे व्यक्ति को जो उत्तराखण्ड का मूल/स्थाई निवासी हो।

2– भवन स्वामी स्वयं परिवार सहित प्रस्तावित होम–स्टे में निवास करता हो।

3– ऐसा व्यक्ति गृह आवास (होम स्टे) के निर्माण हेतु अपेक्षित भूमि का स्वामी हो।

4– व्यक्ति किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था का डिफाल्टर न हो।

5– रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से समय–समय पर शासन द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति अन्य पिछडी जातियों भूतपूर्व सैनिकों दिव्यागों आदि को दिये जाने आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा।

6– राजकीय प्रोत्साहन राशि एवं लाभ प्राप्त करने हेतु नये गृह आवास (होम स्टे) विकसित करने के अतिरिक्त पुराने भवनों की आन्तरिक साज–सज्जा उनका विस्तार /नवनीकरण/सुधार एवं शौचालयों के नवनिर्माण या उच्चीकरण आदि के लिए भी योजना लाभ अनुमन्य होगा।पारम्परकि/पहाडी शैली में निर्मित/विकसित भवनों को प्राथमिकता दी जायेगी।

राजकीय सहायता की धनराशि

राजकीय सहायता की धनराशि मूल सब्सिडी (Capital subsidy) एवं ब्याज पर सब्सिडी (Interest subsidy) का संयोजन होगी। पर्वतीय क्षेत्र के लाभार्थियों हेतु पूंजी संकर्म की लागत के 33 प्रतिशत या रू0 10.00 लाख, इसमें जो भी कम हो, मूल सब्सिडी के रूप में एवं प्रथम पांच वर्षो में ऋण के सापेक्ष देय ब्याज का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 1.50 लाख रू0 प्रति वर्ष की दर से देय होगी।

चयन समिति की संरचना–

उद्यमियों के चयन एवं योजना के क्रियान्वयन एं अनुश्रवण हेतु प्रत्येक जिले चयन/क्रियान्वयन/अुनश्रवण समिति का गठन किया जायेगा, जो निम्न प्रकार है–

1– जिलाधिकारी	–	अध्यक्ष
2– मुख्य विकास अधिकारी	–	सदस्य
3– महाप्रबन्धक जिला उद्योग	–	सदस्य
4– जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक	–	सदस्य
5– नाबार्ड का प्रतिनिधि	–	सदस्य
6– जिला पर्यटन विकास अधिकारी	–	सदस्य सचिव

राजकीय सहायता दी जाने की अन्य शर्ते–

1–राजकीय सहायता की मूल सब्सिडी का भुगतान उपरोक्तानुसार गठित समिति द्वारा एक मुश्त रशि के रूप में तथा ब्याज सब्सिडी का भुगतान वार्षिक आधार पर योजना पूर्ण होने पर सम्बन्धित बैंक शाख जहां से आवेदक द्वारा ऋण लिया गया है, यथा सम्भव एक माह के भीतर जिला पर्यटन विकास अधिकारी एवं प्रबन्धक अथव उनका प्रतिनिधि, जिनके द्वारा आवेदक को ऋण निर्गत किया गया है के संयुक्त निरीक्षण एवं परियोजना पूर्ण होने की पुष्टि के उपरान्त किया जायेगां

2– सम्बन्धित बैंक की शाखा द्वारा बैंक की प्रतिभूति आदि के सम्बन्ध में पूंजी निवेश सम्बन्धी बैंक द्वारा ली जाने वाली मार्जिक मनी 12.5 प्रतिशत ली जायेगी।

3– समय –समय पर विलम्ब के कारणो के साथ–साथ विचाराधीन मामलों पर समस्या के निराकरण के लिए जिलाधिकारी एवं बैंको के मध्य मासिक बैठक का आयोजन किया जायेगा।

ऋण हेतु चयन प्रक्रिया– लाभार्थियों का चयन व्यापक प्रचार प्रसार के उपरान्त प्रस्तुत आवेदन पत्र के जांच उपरान्त उपर्युक्त पायें गये आवेदकों के आवेदन पत्रों के आधार पर चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा।

फैसेलिटेशन एवं मार्केटिंग–

1– विभाग द्वारा पंजीकृत गृह आवास (होम स्टे) के लिये पृथक से पोर्टल/बेव साईट तथा एप विकसित किया जायेगा, जिसमें गृह आवास (होम स्टे) से सम्बन्धित समस्त जानकारियां विद्यमान होगी।

2– ऑन लाइन एवं ऑफलाईन व्यवसायिक मार्केटिंग की सुविधा भी निःशुल्क गृह आवास (होम स्टे) मालिकों को प्रदान की जायेगी।

3– गृह आवास (होम स्टे) के फैडरेशन बनवाकर उनके प्रतिनिधियों द्वारा गृह आवास (होम स्टे) के प्रचार प्रसार हेतु उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद द्वारा जिन राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय ट्रैवल मार्टस् में प्रतिभाग किया जाता है, में निःशुल्क प्रतिभाग किये जाने का अवसार प्रदान किया जायेग।

4– पर्यटकों की सुविधा हेतु गृह आवास (होम स्टे) के सम्बन्ध में की रेटिंग की व्यवस्था होगी, जिससे किसी गृह आवास (होम स्टे) के विषय में पर्यटकों को उसके स्तर की जानकारी के साथ–साथ गृह आवास (होम स्टे) मालिकों के मध्य भी प्रतिस्पर्धा की भावना विकासित होगी।

5– गृह आवास (होम स्टे) संचालकों के मध्य समय–समय पर आतिथ्य सत्कार गतिविधियों के संचालनार्थ प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था होगी।

.....